न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 10/2023

उनवान

1. गीता देवी पत्नि शिवपाल सिंह, जातियाट निवासी राडावास, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

—वादीया

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र बचन सिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र सरदार सिंह
3. किरण कंवर पत्नि भवानी सिंह
4. गजेन्द्र सिह पुत्र भैरू सिंह
5. चैन कंवर पुत्री मांगू सिंह
6. जयसिंह पुत्र रामसिंह
7. दशरथ सिंह पुत्र शैतान सिंह
8. पूजा कंवर पुत्री महेन्द्र सिह
9. पूनम कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
10. प्रदीप सिह पुत्र महेन्द्र सिंह
11. प्रेम कंवर पत्नि भैरू सिंह
12. प्रियंका पुत्री अनुपसिंह
13. बसंत कंवर पुत्री रामसिंह
14. मोनिका पुत्री अनुपसिंह
15. मोहब्बत कंवर पुत्री रामसिंह
16. रेणू कंवर पुत्री भैरू सिंह
17. रामचन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह
18. विनोद कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह
19. विपिन सिंह पुत्र भैरूसिंह
20. शंकर सिंह पुत्र रामसिंह
21. सैतान सिंह पुत्र कानसिंह
22. शुभम सिंह पुत्र भवानी सिंह
23. शैलेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह
24. संग्राम सिंह पुत्र अनुपसिंह
25. संतोष कंवर पुत्री सरदारसिंह

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

26. सदाकंवर पत्नि मांगू सिंह

27. सदा कंवर पत्नि विजयप्रताप सिंह

28. सुप्यार कंवर पत्नि विजय प्रताप सिंह फोट)

29. समन्दर सिंह पुत्र शैतन सिंह

30. सूरजकंवर पत्नि अनुपसिंह

31. सुरज्ञान कंवर उर्फ रेखा कंवर पुत्री गोकूल सिंह

32. सुरेन्द्र सिंह पुत्र शैतान सिंह

33. स्वरूप कंवर पुत्री मांगू सिंह

34. सुषमा पुत्री अनुपसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी राडावास, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

35. नरवरत्न सिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत, निवासी बरनेल तह० परबतसर जिला नागौर, (राज०)

36. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

37. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राडावास, जिला जयपुर, (राज०)

38. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–नायन, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :– 02/08/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–116 के खसरा नं0–1969 कुल किता–1 रकबा 1. 67 है० वाकै ग्राम राडावास, भू.अभि.नि. राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वादीया तथा प्रतिवादीगण सह खातेदार काश्तकार है नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनजा की वादीया हिस्सा 11/67 की रिकार्डेड सह खातेदार है तथा वादीया ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार रामसिंह पुत्र भूरसिंह यानि सम्पूर्ण का हिस्सा 11/167 प्रतिफल के बदले दिनांक–20.06.2016 को खरीद कर मौके पर उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी हिस्सा चौमू अजीतगढ सडक पर पुख्ता डण्डा लगाकर मोके पर काबिज काश्त है जबकि शेष हिस्सा पर प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है जबकि प्रश्नगत भूमि संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज है जिसका आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि वादीया बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी सहखातोरान की सहमति से मौके पर अपने हिस्सा में पुख्ता बाउण्डरीशुदा रकबे पर काबिज काश्त है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी

सहायक कलक्टर
(जिला जयपुर) राज

मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीया के साथ लीख, झोल व विशिष्ट भु–भाग पर काबिज होने व बाहमी बंटवारा के मुताबिक जहां आज तक वादीया वाद पत्र के खण्ड सं0–2 के मुताबिक काबिज काश्त है वहीं से बेदखल करने की धमकी देते है तथा वादीया अपने हिस्से का संपरिवर्तन करवाने के लिए भी विषम परिस्थितियो का सामना करना पड रहा है इस कारण वादीया व प्रतिवादीगण का शामिल मे काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है। दिनांक–15.01.2023 को वादीया अपने हिस्से की बाउण्ड्रीशुदा भूमि में फसल की देखरेख कर रही थी प्रतिवादीगणएक रायहोकर वादीया के हिस्से की भूमि में जबरन घुस आये तथा वादीया को काश्त में दखलपैदा करने लगे तो वादीया ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मैं मेरे खरीदशुदा हिस्से पर आपकी सहमति से पुख्ता बाउण्ड्री का निर्माण करवाकर काबिज काश्त हूँ तथा आप अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो सहमति से तहसील कार्यालय में चलकर मौके पर काबिज काश्तानुसार कानूनी बंटवारा करवा लो तथा अपना हिस्स अलग अलग राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये तथा गुस्से में आकर एलानियों धमकी दी कि हम किसी भी कदर भी प्रश्नगत भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे ना ही भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं होने देगे जबकि वादीया को पुख्ता बाउण्ड्रीशुदा भूमि पर काबिज काश्त नहीं रहने देगे जबकि वादीया को बेदखल करने को आमादा हो रहे है जिस कारण वादीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये एवं वादीया को बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त नहीं रहने दिया ओर पुख्ता बाउण्ड्रीशुदा भूमि जहाँ वादीया काबिज काश्त है से बेदखल कर दिया या कानूनी बंटवारा नहीं होने दिया एवं अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण नहीं होने दी या विशिष्ट भु–भाग पर स्वंय ने कब्जा कर लिया तो वादीया को नाकाबिले तलाफी होगी एवं वादीया के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं वादीया को अने विधिक अधिकारो से महरूम होना पडेगा अर्थात वादीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में संभव पनहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में मुकदमें बाजी बढेगी ।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–116 के खसरा नं0–1969 रकबा 1.67 है० वाके ग्राम राडावास, पटवार हल्का राडावास, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त के अनुसार वैधानिक बंटवारा किया जाकर वादीया का हिस्सा 11/67 अलग से पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे एवम् प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव सदैव इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे अथवा उनके

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

नौकर, एजेन्ट, उत्तराधिकारी वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 1969/1.67 है० वाके ग्राम राडावास में वादीया के हिस्सा 11/67 में आई वाद बंटवारा भूमि में किसी भी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा ना करे जबकि वादीया को शांति पूर्वक उसकी बाउण्ड्री भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे पाबन्द फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 बावजूद सूचना व तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 03.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू०अ०/2024/3700 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से व वकील वादी कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् सहमत होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–116 के खसरा नं0–1969 रकबा 1.67 है० वाके ग्राम राडावास, पटवार हल्का राडावास, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. गीता देवी पत्नि शिवपाल सिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1969/2 रकबा 0.11 है0 भूमि रहेगी।
2. उम्मेद सिंह, रामचन्द्र सिंह पि0 सरदारसिंह, सन्तोष कंवर पुत्री सरदार सिंह, सुप्यार कंवर पत्नि सरदारसिंह हि0 ब0 हि0 668/8736, गजेन्द्र सिंह, विपिनसिंह पि0 भैरूसिंह, प्रेमकंवर पत्नी भैरूसिंह, रेणुकंवर पुत्री भैरूसिंह हि0 ब0 हि0 167/8736, पूनम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, विनोद कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह हि0 167/8736, दशरथसिंह, सुरेन्द्रसिंह पि0 शैतानसिंह हि0 334/3744 राहिन आर.एम.जी.बी राडावास, समन्दरसिंह पुत्र शैतानसिंह हि0 167/3744 राहिन पी.एन.बी. शाखा नायन, सुरज्ञानकंवर उर्फ रेखाकंवर पुत्री गोकुलसिंह हि0 167/1248, शैतानसिंह पि0 कानसिंह हि0 167/624, किरणकंवर पत्नी भवानीसिंह हि0 79/19552, शुभमसिंह, शैलेन्द्रसिंह पि0 भवानीसिंह हि0 21014/1231776, जयसिंह, शंकरसिंह पि0 रामसिंह हि0 158/3744, चैनकंवर, मौहब्बत कंवर, स्वरूपकंवर पुत्रियां मांगूसिंह हि0 501/6240, सदाकंवर पत्नि मांगूसिंह राहिन आर.एम.जी.बी

सहायक कलक्टर

राडावास हि0 167/6240, प्रियंका, मोनिका, सुष्मा पुत्रियां अनूपसिंह, संग्रामसिंह पुत्र अनूपसिंह, सूरजकंवर पत्नि अनूपसिंह हि0 167/6240, सदाकंवर पत्नि विजयप्रतापसिंह हि0 167/3744 राहिन आर.एम.जी.बी. राडावास, अमरसिंह पुत्र बच्चन सिंह हि0 334/3744 राहिन हि0 167/3744 आर.एम.जी.बी. राडावास जाति राजपूत सा0 देह, नवरतनसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 167/8736 जाति राजपूत नि0 बरनेल तहसील परबतसर नागौर खातेदारान के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1969/1 रकबा 1.56 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/08/24 को सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 10/2023

उनवान

1. गीता देवी पत्नि शिवपाल सिंह, जातियाट निवासी राडावास, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

—वादीया

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र बचन सिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र सरदार सिंह
3. किरण कंवर पत्नि भवानी सिंह
4. गजेन्द्र सिह पुत्र भैरू सिंह
5. चैन कंवर पुत्री मांगू सिंह
6. जयसिंह पुत्र रामसिंह
7. दशरथ सिंह पुत्र शैतान सिंह
8. पूजा कंवर पुत्री महेन्द्र सिह
9. पूनम कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
10. प्रदीप सिह पुत्र महेन्द्र सिंह
11. प्रेम कंवर पत्नि भैरू सिंह
12. प्रियंका पुत्री अनुपसिंह
13. बसंत कंवर पुत्री रामसिंह
14. मोनिका पुत्री अनुपसिंह
15. मोहब्बत कंवर पुत्री रामसिंह
16. रेणू कंवर पुत्री भैरू सिंह
17. रामचन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह
18. विनोद कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह
19. विपिन सिंह पुत्र भैरूसिंह
20. शंकर सिंह पुत्र रामसिंह
21. सैतान सिंह पुत्र कानसिंह
22. शुभम सिंह पुत्र भवानी सिंह
23. शैलेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह
24. संग्राम सिंह पुत्र अनुपसिंह

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

25. संतोष कंवर पुत्री सरदारसिंह
26. सदाकंवर पत्नि मांगू सिंह
27. सदा कंवर पत्नि विजयप्रताप सिंह
28. सुप्यार कंवर पत्नि विजय प्रताप सिंह फोट)
29. समन्दर सिंह पुत्र शैतन सिंह
30. सूरजकंवर पत्नि अनुपसिंह
31. सुरज्ञान कंवर उर्फ रेखा कंवर पुत्री गोकूल सिंह
32. सुरेन्द्र सिंह पुत्र शैतान सिंह
33. स्वरूप कंवर पुत्री मांगू सिंह
34. सुषमा पुत्री अनुपसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी राडावास, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

35. नरवरत्न सिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत, निवासी बरनेल तह० परबतसर जिला नागौर, (राज०)
36. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
37. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राडावास, जिला जयपुर, (राज०)
38. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–नायन, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 02/08/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–116 के खसरा नं0–1969 रकबा 1.67 है० वाके ग्राम राडावास, पटवार हल्का राडावास, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. गीता देवी पत्नि शिवपाल सिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1969/2 रकबा 0.11 है0 भूमि रहेगी।
2. उम्मेद सिंह, रामचन्द्र सिंह पि0 सरदारसिंह, सन्तोष कंवर पुत्री सरदार सिंह, सुप्यार कंवर पत्नि सरदारसिंह हि0 ब0 हि0 668/8736, गजेन्द्र सिंह, विपिनसिंह पि0 भैरूसिंह, प्रेमकंवर पत्नी भैरूसिंह, रेणुकंवर पुत्री भैरूसिंह हि0 ब0 हि0 167/8736, पूनम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह, प्रदीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, विनोद कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह हि0 167/8736, दशरथसिंह, सुरेन्द्रसिंह पि0 शैतानसिंह हि0 334/3744 राहिन आर.एम.जी.बी राडावास, समन्दरसिंह पुत्र

सहायक कलक्टर (जिला-जयपुर) राज.

शैतानसिंह हि0 167/3744 राहिन पी.एन.बी. शाखा नायन, सुरज्ञानकंवर उर्फ रेखाकंवर पुत्री गोकुलसिंह हि0 167/1248, शैतानसिंह पि0 कानसिंह हि0 167/624, किरणकंवर पत्नी भवानीसिंह हि0 79/19552, शुभमसिंह, शैलेन्द्रसिंह पि0 भवानीसिंह हि0 21014/1231776, जयसिंह, शंकरसिंह पि0 रामसिंह हि0 158/3744, चैनकंवर, मौहब्बत कंवर, स्वरूपकंवर पुत्रियां मांगूसिंह हि0 501/6240, सदाकंवर पत्नि मांगूसिंह राहिन आर.एम.जी.बी राडावास हि0 167/6240, प्रियंका, मोनिका, सुष्मा पुत्रियां अनूपसिंह , संग्रामसिंह पुत्र अनूपसिंह, सूरजकंवर पत्नि अनूपसिंह हि0 167/6240, सदाकंवर पत्नि विजयप्रतापसिंह हि0 167/3744 राहिन आर.एम.जी.बी. राडावास, अमरसिंह पुत्र बच्चन सिंह हि0 334/3744 राहिन हि0 167/3744 आर.एम.जी.बी. राडावास जाति राजपूत सा0 देह, नवरतनसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 167/8736 जाति राजपूत नि0 बरनेल तहसील परबतसर नागौर खातेदारान के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1969/1 रकबा 1.56 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 02/08/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपयें पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner